337

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

सॅ0 1011 /XXIV(1) /2015–10 /2015

प्रेषक,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2015

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्माण कार्यो में की गयी घोषणाओं में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–बेसिक–नियोजन / 11513 / एस0पी0ए0 / 2014–15 दिनांक 20.09.2014 एवं पत्रांक–नियोजन / 19730 / एस0पी0ए0 / 2014–15 दि0 22.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण कार्यो हेतु जनपद अल्मोड़ा में की गयी घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु अनुदान सं0 11 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में वर्ष 2015–16 हेतु की गयी बजट व्यवस्था से निम्नलिखित घोषणाओं / कार्यो हेतु टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) द्वारा अनुमोदित कुल रू0 80.00 लाख (रू0 78.80 +1.20 लाख अधिप्राप्ति के कार्यो हेतु) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख रू0 में)

घोषणा सं0	घोषणा का विवरण	अनुमोदित लागत	अधिप्राप्ति
820 / 2014	प्राईमरी पा0 मैचून में कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जायेगा	16.20	0.34
821 / 2014	प्रा0पा0 बलसूना में कक्षा–कक्ष का निर्माण किया जायेगा	16.47	0.34
822 / 2014	प्रा0पा0 नैनी में कक्षा–कक्ष का निर्माण किया जायेगा	14.83	0.34
823 / 2014	जू0हा0 मेहरागांव में चाहरदीवारी एवं कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा	21.80 9.50	0.18
	योग	**78.80**	**1.20**

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टिओं को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurment Rules, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

03– उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सॅ0–224(P)/XXVII(3)/2015–16 दिनांक 13.10.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 सेंथिल पाण्डियन)
सचिव

सं0 (i)/XX /2015–10/2015 /तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
04. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
05. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
06. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–5
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दन सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।